

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी- श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 13/2018

प्रार्थी

भूराराम गोदारा  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

माणकचन्द पुत्र मंगलाराम  
जाति माली निवासी गांव कुण्डल  
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर  
(मै० मारवाड़ दूध डेयरी सिवाना  
जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011


उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।  
2. श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता विप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.5.2018


1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.4.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स मारवाड़ दूध डेयरी मोकलसर रोड़ सिवाना जिला बाड़मेर दोपहर 4.45 बजे पहुँचने पर डेयरी में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम माणकचन्द पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी गांव कुण्डल तहसील सिवाना बाड़मेर मैसर्स मारवाड़ दूध डेयरी सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त डेयरी का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे एक फ्रीज के खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 45 लीटर आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विक्रेता को 60/- रूपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी-761 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को काँस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-761 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी-761 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/355/एक्ट/2017/356 दिनांक 01.05.2017 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में अवमानक पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अधर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन होने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए.नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.761 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित। विप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में रखी गई। विप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया।
3. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 18.4.2017 को गश्त के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मारवाड़ दूध डेयरी सिवाना जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे एक फीज के खण्ड में करीबन 45 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ पाया गया। दूध (मिक्स) का नमूना पी-761 खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की धारा 2.1.1 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/355/एक्ट/2017/356 दिनांक 01.05.2017 के अनुसार विप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध का खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते हैं।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी माणकचन्द द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक (Sub Standard) स्तर का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी माणकचन्द पर रूपये 3000/—(अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के निर्णय तारीख 22.5.2018 से एक माह की अवधि के भीतर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें तथा प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश करें।



(ओपीओ बिश्नोई )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 22.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर